सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं (धारा–4 (1)(ख) के अन्तर्गत)	
खण्ड	<u>प्रस्तावना</u>
I-	राज्य सूचना आयोग की विशिष्ठियां, कृत्य और कर्तव्य
II-	राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारियों व अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
III-	विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया
IV-	राज्य सूचना आयोग द्वारा स्थापित मापमान
V-	राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेशों का विवरण
VI-	राज्य सूचना आयोग में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण
VII-	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण
VIII-	राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत गठित मण्डल, परिषद, कमेटियॉ
IX-	राज्य सूचना के पदाधिकारियों, अधिकारियों की निर्देशिका
X-	आयोग के पदाधिकारी अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी
XI-	आयोग को आबंटित बजट
XII-	अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि व लाभान्वितों से संबंधित जानकारी
XIII-	राज्य सूचना आयोग द्वारा अनुदान रियायतों अनुज्ञापन्नों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ
XIV-	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी
XV-	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण
XVI-	लोक सूचना अधिकारी का नाम पदनाम व अन्य विवरण
XVII-	अन्य उपयोगी जानकारियॉ

खण्ड–I

राज्य सूचना आयोग की विशिष्ठियॉं, कृत्य एवं कर्तव्य

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(i) के अंतर्गत)

इस अधिनियम का मूल मन्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जबाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो। इस अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सके। लोक प्राधिकारी की परिभाषा इस प्रकार की है जिससे न केवल प्रशासनिक तंत्र के संबंध में कोई भी नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। बल्कि उन सभी निकायों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है जो लोक प्राधिकारी से नियंत्रित होते है या 2 लाख या उससे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते है। अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसे अधिकारियों को, राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्डित किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन, अधिसूचना क्र0 एफ–7–16/2005/1/6, दिनांकः 01 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ में आयोग का गठन होने के उपरांत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री ए0के0 विजयवर्गीय, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया जिन्होनें शपथ ग्रहण कर अपने पद का कार्यभार दिनांक 07/11/2005 को ग्रहण किया है। प्रारंभ में आयोग एक सदस्यीय ही रहा। दिनांक 22.09.2008 से श्री अनिल जोशी द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया।

यह आयोग विधि अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय रायपुर में रखा गया है। आयोग का कार्यालय निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर में स्थापित किया है।

राज्य सूचना आयोग का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन के कार्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित है एवं उनके कर्तव्य व शक्तियॉ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित है।

राज्य सूचना आयोग के मुख्यालय का पता, कार्यकालीन समय एवं अवकाश की स्थिति निम्नानुसाार है :–

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का पता :–

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,
निर्मल छाया भवन,
मीरा दातार रोड़,
बाटल हाऊस के पास,
शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़
पिन कोड– 492007

(2) कार्यालयीन समय

प्रातः 10.30 बजे से सांय 5.30 बजे नियत

(3) अवकाश

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश ही आयोग हेतु मान्य किए गए है।

खण्ड-II

आयोग के पदाधिकारी व अधिकारियों/कर्मचारियो की शक्तियां और कर्तव्य

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(i i) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग की शक्तियॉ

शिकायत

अधिनियम के अघ्याय 5 में आयोग की शक्तियॉ तथा कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। राज्य सूचना आयोग, ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करके उसकी जॉच कर सकता है :–

(क) जो, राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया हैं।

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है।

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विर्निष्ट समय–सीमा के भीतर सूचना के पहुंच के लिए अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

(घ) जिसे फीस की रकम का संकाय करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है।

(ड़) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है।

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने का उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

राज्य सूचना आयोग को धारा 18(1) के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय के निहित होती हैं।

अपील

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अनुसार अपील का प्रावधान :—

1. यदि अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या वह निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है।
2. यदि किसी अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने से रोका गया हो या ऐसा प्रर्याप्त कारण हो तथा सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से संतुष्ट है तो वह 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अपील पर सुनवाई कर सकता है।
3. तृतीय पक्षकार के मामले में भी तृतीय पक्षकार चाहे तो 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा।
4. द्वितीय अपील के अंतर्गत पूर्व के सक्षम प्राधिकारीयों के निर्णय के विरूद्ध निर्णय दिनांक से 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है। राज्य सूचना आयोग किसी मामले मे समय सीमा 90 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात पर्याप्त कारणों के अधार पर द्वितीय अपील की सुनवाई कर सकता है।
5. राज्य सूचना आयोग अपील के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकार और अपीलकर्ता को नोटिस जारी करेगा।
6. राज्य सूचना आयोग अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप सुनवाई करेंगा।
7. इस अधिनियम में न्यायालयों की अधिकारियों के संबंध में भी उल्लेख है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किए किसी आदेश के संबंध में किसी बाद या आवेदन प्राप्त करने या अन्य कार्यवाही को संचालित करने हेतु सक्षम नहीं होगा।

दण्ड का प्रावधान

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अनुसार दण्ड प्रावधान :—

जहां राज्य सूचना आयोग ऐसे किसी मामले में किसी शिकायत या अपील के निराकरण में पाता है कि जन सूचना अधिकारी ने बिना कारण सूचना के अनुरोध को अस्वीकृत किया है या नियत समय में सूचना देने में असफल हुआ है या सूचना पूरी नहीं दी या दी गई सूचना दिग्भ्रमित करने वाली है या विषय—वस्तु भटकाने वाली है तो दण्ड का प्रावधान है जो प्रतिदिन रू. 250/— से लेकर अधिकतम रू. 25,000/— हो सकता है।

- दण्ड का निर्णय देने से पूर्व सूचना अधिकारी को उन कारणों को स्पष्ट करने हेतु आयोग अवसर प्रदान करेगा, जिसके कारण उसने सूचना नहीं दी। उसे उसके द्वारा लिए गए निर्णय को सत्य सिद्ध करने का मौका प्राप्त होगा आयोग चाहे तो सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा भी कर सकता है।

क्रं.	अधिकारी का नाम व पद	सौंपे गए कार्य
01	श्री एल.एन. सूर्यवंशी सचिव	1. वाचक अपील/वाचक शिकायत, डाटा एन्ट्री आपरेटर आदि शाखाओं का निरीक्षण। । 2. वीडियो कान्फ्रेसिंग रिकार्ड रूप आदि का निरीक्षण।
01	श्री एस.एल.श्रीमाली अवर सचिव	**1.** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सभी जिलों के शिकायत प्रकरणों की प्रस्तुती, कार्यवाही एवं संधारण। **2.** छ.ग. सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी का कार्य। **3.** वार्षिक प्रतिवेदन से संबंधित कार्य। **4.** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त एवं सचिव के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
02	श्री के.एल.साहू, लेखाधिकारी	**1.** आयोग से सबंधित लेखा एवं आडिट संबंधी समस्त कार्य। **2.** आयोग के बजट एवं व्यय के पत्रकों का संधारण एवं समस्त कार्य। **3.** आयोग के द्वारा क्रय किए जाने वाली वस्तुओं एवं स्टोर से संबंधित समस्त कार्य। **4.** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर जिले के अपील संबंधी प्रकरणों का संधारण प्रस्तुती एवं समस्त कार्यवाही। **5.** आवक–जावक शाखा का नियंत्रण। **6.** राज्य मुख्यसूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त एवं सचिव के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
03	श्री सुदेश तिवारी जनसंपर्क अधिकारी	**1.** आयोग के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आयोग के कार्यो का प्रचार एवं प्रसार। **2.** आयोग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में आहरण एवं संवितरण कार्य। **3.** आयोग के शासकीय सेवकों की स्थापना से संबंधित समस्त कार्य। **4.** वर्तमान कार्यो के साथ आयोग के पूर्व आदेश द्वारा सौपें गए उपसचिव से संबंधित समस्त अपील प्रकरणों का कार्य। **5.** राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त एवं सचिव के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

क्रं	कर्मचारी का नाम व पद	सौंपे गए कार्य
01	श्री बी.डी.थनापति, अनुभाग अधिकारी	**1-** समस्त प्रकार के देयकों को तैयार करना व इसमें संबंधित अभिलेख संधारण व पत्राचार करना। **2-** आयकर, बजट ,व्यय एवं महालेखाकार कार्यालय में व्यय आकड़ों का मिलान। **3-** रोकड़ बही खाते से संबंधित नस्तियों का प्रस्तुतीकरण। प्रतिलिपी शाखा का कार्य। **4-** डेड स्टाक के सामग्री एवं रख–रखाव। **5-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
02	श्री जे.पी.डेहरिया राजस्व निरीक्षक	**1-** अवर सचिव/लेखाधिकारी के साथ अपील एवं शिकायत प्रकरणों के समस्त कार्य तथा अपील एवं शिकायत प्रकरण संबंधी समस्त जानकारी तैयार करना। **2-** शिकायत प्रकरणों के रिकार्ड का संधारण। **3-** शिकायत प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी प्रतिदिन संधारित कर सहायक प्रोग्रामर को उपलब्ध कराएँगें। **4-** श्री बी.आर.साहू की अनुपस्थिति में उनकी शाखा का कार्य। **5-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
03	श्री अरूण कुमार शुक्ला, सहायक ग्रेड –1	**1-** उपसचिव के साथ अपील प्रकरणों के समस्त कार्य तथा अपील प्रकरण संबंधी समस्त जानकारी तैयार करना। **2-** अपील प्रकरणों के रिकार्ड का संधारण। **3-** अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी प्रतिदिन संधारित कर सहायक प्रोग्रामर को उपलब्ध कराएँगें। **4-** श्री बी. आर. साहू की अनुपस्थिति में उनकी शाखा का कार्य। **5-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्य।
04	श्री बी.आर. साहू, सहायक ग्रेड–2	**1-** अवर सचिव/लेखाधिकारी के साथ अपील एवं शिकायत प्रकरणों के समस्त कार्य तथा अपील एवं शिकायत प्रकरण संबंधी समस्त जानकारी तैयार करना। **2-** श्री अरूण कुमार शुक्ला की अनुपस्थिति में अपील/शिकायत शाखा का समस्त कार्य। **3-** अभिलेख कोष्ट का कार्य। **4-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
05	श्री बी.जी.देवांगन, सहायक ग्रेड–2	**1-** जावक शाखा कार्य। **2-** श्री सक्सेना की अनुपस्थिति में भंडार, आवक शाखा, पुस्तकालय का कार्य। **3-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्य।

06	श्री जी.बी.सक्सेना, सहायक ग्रेड–2	**1-** पुस्तकालय संबंधी अभिलेखों का संधारण एवं पत्राचार । **1-** आवक शाखा का कार्य। **2-** आयोग के द्वारा क्रय किए जाने वाली वस्तुओं एवं भंडार से संबंधित समस्त कार्य। (डेड स्टाक के सामग्री को छोड़कर) **3-** श्री देवांगन एवं श्री फहीम खान की अनुपस्थिति में उनकी शाखा का कार्य। **4-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्य।
07	श्री फहीम अहमद खान, सहायक ग्रेड–3	**1-** शासकीय धन राशि प्राप्त करना एवं भुगतान करना एवं विभागीय रोकड़ बही और इससे संबंधित अभिलेखें का संधारण । **2-** स्थाई अग्रिम भुगतान नामावली एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का संधारण। **3-** श्रीमति आरती की अनुपस्थिति में स्थापना संबंधी समस्त कार्य। **4-** उच्चाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य।
08	श्रीमति आरती रस्तोगी, सहायक प्रोग्रामर	**1-** आयोग के मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना। **2-** स्थापना शाखा का कार्य। **3-** आयोग द्वारा अपील एवं शिकायत के पारित आदेशों का NIC में भेजने संधारण । **4-** समस्त कम्प्यूटर एवं विडीयों कान्फ्रेसिंग का रख–रखाव एवं विडीयो कान्फ्रेसिंग से होने वाले अपील/शिकायत प्रकरणों की सुनवाई हेतु व्यवस्था संबंधी कार्य। **5-** डाटा एंट्री आपरेटरों की अनुपस्थिति में अपील/शिकायत शाखा का मुद्रण कार्य। **6-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
09	श्री मंगलेश्वर प्रसाद साहू, डाटा एंट्री आपरेटर	**1-** अपील एवं शिकायत प्रकरणों का कम्प्यूटर में मुद्रण कार्य। **2-** लेखा शाखा से संबंधित समस्त मुद्रण कार्य। **3-** श्री के.एल.साहू ,लेखाधिकारी एवं श्री सुदेश तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी के साथ संलग्न। **4-** सहायक प्रोग्रामर की अनुपस्थिति में विडीयो कान्फ्रेसिंग एवं कम्प्यूटर संबंधी समस्त कार्य। **5-** श्री ईश्वर ध्रव की अनुपस्थिति में उनकी शाखा का समस्त कार्य। **6-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
10	श्री ईश्वर ध्रुव, डाटा एंट्री आपरेटर	**1-** अपील एवं शिकायत प्रकरणों के आदेश एवं संबंधित पत्राचार का रखरखाव एवं कम्प्यूटर मुद्रण कार्य। **2-** श्री मंगलेश्वर प्रसाद साहू, डाटा एंट्री आपरेटर की अनुपस्थिति उनकी शाखा का समस्त मुद्रण कार्य। **3-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
11	श्री डी0डी0 विश्वकर्मा, सहायक ग्रेड–3	**1-** मान. सूचना आयुक्त के रीडर का कार्य। **2-** मान. सूचना आयुक्त को आबंटित जिलों के समस्त अपील प्रकरणों के संधारण तथा अपील प्रकरण संबंधी समस्त जानकारी तैयार करना। **3-** उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त प्रकरणों का संधारण एवं पत्र व्यवहार। **4-** अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी प्रतिदिन संधारित कर सहायक प्रोग्रामर को उपलब्ध कराएगें। **5-** श्री अरूण कुमार शुक्ला, सहायक ग्रेड–1 की अनुपस्थिति में उनकी शाखा का कार्य। **6-** उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य।

खण्ड-III

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(iii) के अंतर्गत)

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अपील प्रकरणों के निराकरण के लिए जो प्रक्रिया आयोग में निर्धारित की गई है वह निम्नानुसार है :–

1. अपील तीन प्रतियों मे प्रस्तुत की जाएगी।
2. यदि अपील में तृतीय पक्ष भी पक्षकार है तो अपीलार्थी के द्वारा 04 प्रतियों में अपील प्रस्तुत की जावेगी।
3. अपील में निम्नानुसार तथ्यों का समावेश होगाः–
   - I. अपीलार्थी का नाम व पता
   - II. प्रतिअपीलार्थी का नाम व पदनाम पता
   - III. जिस आदेश के विरूद्ध अपील हुआ है, आदेश क्रमांक एवं दिनांक
   - IV. प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु
   - V. अपील के आधार
   - VI. अधिनियम की धारा 19(8)(ख) एवं धारा 20(1) के अंतर्गत की गई अपील हेतु मांगी गई सहायता।
   - VII. कोई अन्य बिन्दु जो अपीलार्थी आवश्यक समझे।

4. अपील आवेदन के साथ आदेश की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न होना आवश्यक है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है।
5. जनसूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जानकारी, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की गई हैं।
6. यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो उसका उल्लेख अपील में किया जावेगा।
7. सूचना अधिकारी को दिये गये आवेदन एवं दिये गये शुल्क की प्रति सूचना अधिकारी द्वारा यदि कोई जानकारी दी गई हो तो उस अधूरी जानकारी का आधार।
8. अपील के साथ राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क रू. 100/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टांप चालान पोस्टल आर्डर अथवा मनीआर्डर से जमा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अपील के लिए निर्धारित शुल्क नकद राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी रसीद प्राप्त की जा सकती है।
9. यदि अधिनियम के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं हुई हो तो बिलम्ब का कारण एवं आधार।
10. अपील में प्रस्तुत अभिलेखों में कोई कमी हो तो कार्यालय द्वारा आवेदक को सूचित किया जावेगा तथा 15 दिनों के अन्दर अभिलेखों की पूर्ति करने के लिए कहा जावेगा। यदि अभिलेखों की पूर्ति समय पर नहीं होती है। तो आवेदक को सूचना देकर अपील पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावेगी।

खण्ड-IV

राज्य सूचना आयोग द्वारा स्थापित मापमान

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)ख(iv) के अंतर्गत)

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों/अपीलों क निराकरण क लिए पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान करते हुए युक्ति युक्त समय में अपील/शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर तैयार किया जाकर शासन को भेजा जाता है। अब तक वर्ष 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 का वार्षिक प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है।

खण्ड-V

राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम, अनुदेशों का विवरण

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(v) के अंतर्गत)

सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित नियम, विनियम, निर्देश, अनुदेशाों का विवरण निम्नानुसार है :—

1. शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत आवेदन शुल्क एवं जानकारी देने व अभिलेख निरीक्षण के संबंध में नियम 1 अक्टूबर 2005।
2. छ0ग0 शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 27 के अंतर्गत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील से संबंधित नियम 17 मार्च 2006।
3. छ0ग0 शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 27 के अंतर्गत शुल्क एवं प्रचार नियम 2007।
4. छ0ग0 सूचना अधिकार (अपील) नियम 2006 संबंधी अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर 2006।
5. छ0ग0 सूचना अधिकार (शुल्क एवं विनियमन) नियम 2005 संबंधी अधिसूचना/संशोधन दिनांक 12 अक्टूबर 2006।
6. संस्था/शाखा/संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट संबंधी अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर दिनांक 22 अक्टूबर 2005।

<u>खण्ड-VI</u>

<u>राज्य सूचना आयोग में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण</u>

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(vi) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग के विभिन्न शाखाओं में निर्धारित पंजियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	शाखा का नाम	शाखा का कार्य विवरण
1.	अपील शाखा	अपील पंजीयन पंजी, अपील प्रकरणों से संबंधित आदेश पत्रों एवं आदेशों का संधारण
2.	शिकायत शाखा	शिकायत पंजीयन पंजी, शिकायत प्रकरणों से संबंधित आदेश पत्रों एवं आदेशों का संधारण
3.	लेखा शाखा	केश बुक, बिल रजिस्टर, बजट
4.	भण्डार शाखा	जनरल स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, इश्यू रजिस्टर, विविध क्रय रजिस्टर
5.	आवक जावक शाखा	आवक पंजी, जावक पंजी, प्रतिलिपि शाखा
6.	स्थापना शाखा	स्थापना से संबंधित कार्य, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण एवं शासन से संबंधित समस्त पत्राचार।

<u>खण्ड-VII</u>

नीति निर्धारण कार्यान्वयन के संबंध में

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(vii) के अंतर्गत)
जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

राज्य सूचना आयोग से संबंधित नहीं है।

खण्ड-VIII

राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत गठित मण्डल, परिषद, समितियॉ

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(Viii) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से संबंधित नहीं है।

खण्ड–IX

राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारी, अधिकारियों की निर्देशिका

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) (IX)के अंतर्गत)

नाम एवं पदनाम	कक्ष क्र.	कार्यालय दूरभाष		निवास दूरभाष		मोबाईल नंबर	निवास का पता
		कोड नं.	दूरभाष नंबर	कोड नं.	दूरभाष नंबर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री ए0के0 विजयवर्गीय, मुख्य सूचना आयुक्त	–	0771	4024406	0771	2331616	9425207260	21/376 सिविल लाईन्स, कबीर चौक, रायपुर (छ.ग.)
श्री अनिल जोशी, राज्य सूचना आयुक्त	–	0771	4046075	-	–	9425536679 9425536679	30, अर्जुन इनक्लेव, भैरव नगर, मठपुरैना, रायपुर (छ.ग.)
श्री एल0एन0 सूर्यवंशी, सचिव	–	0771	2444151	0771	2262145	94252-58450	एच.आई जी –1 फ्लैट नं. 506, 5 वीं मंजिल सी ब्लाक, कंचन अश्व परिसर, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर
श्री एस0एल0 श्रीमाली, अवर सचिव	–	0771	4025706	–	–	94252-61092	एम.आई.जी. बी–6 न्यू पुरैना पलास बिहार, महावीर नगर, रायपुर
श्री सुदेश तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी	–	0771	4024235	–	–	94252-09174	विजेता काम्पलेक्स, Sr. MIG, ए ब्लाक, क्वार्टर नं. 208, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर
श्री के0एल0 साहू, लेखाधिकारी	–	0771	4024235	–	–	9827167135	एच0आई0जी0 2/19 सेक्टर–1 पं0 दीनदयालय उपाध्याय नगर, रायपुर (छ.ग.)

खण्ड-X

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर

पद सरंचना की जानकारी (31–03–2009 की स्थिति में)

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(X)के अंतर्गत)

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष कार्यालय (0771) 4024406 फैक्स–2442132, वेबसाईट–www.siccg.gov.in

पद–संरचना की जानकारी

(दिनांक 31–03–2009 की स्थिति में)

विभाग का नाम – छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर (छ.ग.)
विभागाध्यक्ष का नाम – श्री ए.के. विजयवर्गीय
मांग संख्या – 02
मुख्य शीर्ष – 2052 – सचिवालय सामान्य सेवायें
उप मुख्यशीर्ष – (092) – अन्य कार्यालय
लघु शीर्ष – (6705) – राज्य सूचना आयोग
योजना क्रमांक – 01 – वेतन भत्ते आदि।

क्रं.	पदनाम	वेतनमान	संशोधित वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या		कुल पद
				स्थाई	अस्थाई	
01	मुख्य सूचना आयुक्त	30,000	80,000	एक		01
02	सूचना आयुक्त	26,000	80,000	दो		02
03	सचिव	18,400–22,400	47,400–67,000+10000	एक		01
04	उपसचिव	12,750–16,500	15,600–39,100+7600	एक		01
05	अवर संचिव	10,000–15,200	15,600–39,100+6600	एक		01
06	स्टॉफ आफिसर	10,000–15,200	15,600–39,100+6600	तीन		03
07	निज सहायक	5500–9000	9,300–34,800+4300	पांच		05
08	जनसंपर्क अधिकारी	8,000–13,500	15,600–39,100+5400	एक		01
09	अनुभाग अधिकारी	6500–10,500	9,300–34,800+4400	एक		01
10	लेखाधिकारी	8,000–13,500	15,600–39,100+5400	एक		01
11	सहायक ग्रेड–1	5,500–9000	9,300–34,800+4300	तीन		03
12	सहायक ग्रेड–2	4,000–6,000	5,200–20,200+2400	तीन		03
13	सहायक ग्रेड–3	3050–4590	52,00–20,200+1900	चार		04
14	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3500–5200	5,200–20,200+2200	दो		02
15	सहायक प्रोग्रामर	5000–8000	9,300–34,800+4200	एक		01
16	वाहन चालक	3050–4590	5,200–20,200+1900	छैः		06
17	भृत्य	2550–3200	4,750–7,400+1300	बारह		12
18	चौकीदार–फर्राश	2550–3200	4,750–7,400+1300	दो		02
	कुल योगः–			पचास		50

सचिव
छ.ग. सूचना आयोग

D:\Accounts\Budget 09-10\Budget 06-08-09\Covering. Setup. sch. Tel. Comp. Statement.Summary.doc

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर की मांग संख्या-02, 2052 सचिवालय सामान्य सेवायें (092) अन्य कार्यालय (6705) राज्य सूचना आयोग के अन्तर्गत 31.03.2010 तक का कुल व्यय विवरण पत्रक

वित्तीय वर्ष 2009-10

क्रं.	मद	आबंटन	प्रथम अनुपूरक में प्राप्त आबंटन	द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त आबंटन	पुर्नविनियोजित राशि	वर्ष 2009-10 में प्राप्त कुल आबंटन	दि. 31.03.2010 तक कुल व्यय राशि	समर्पण हेतु अवशेष राशि	व्यय प्रतिशत (%)	समर्पण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	01- वेतन भत्ते आदि									
	001 - वेतन	4050000			+300000	4350000	4231962	118038	97.29	आयोग में पद रिक्त होने के कारण
	002 - महंगाई वेतन	2025000			-1200000	825000	130062	694938	15.77	
	003 - मंहगाई भत्ता	1450000				1450000	715804	734196	49.37	
	006 - मकान किराया भत्ता	150000			+400000	550000	234455	315545	42.63	
	014 - अन्य भत्ते	200000			+600000	800000	238116	561884	29.76	..तदैव..
	015 - चिकित्सा व्यय पूर्ति	300000			-100000	200000	54371	145629	27.19	..तदैव..
	020 - त्यौहार अग्रिम	50000				50000				..तदैव..
	021 - घटाईये-वापसियां	(-) 50000				(-) 50000				..तदैव..
	022 - अनाज अग्रिम	50000				50000				..तदैव..
	023 - घटाइये-वापसियां	(-) 50000				(-) 50000				..तदैव..
	024 - चिकित्सा अग्रिम	50000				50000				..तदैव..
	025 - घटाइये-वापसियां	(-) 50000				(-) 50000				..तदैव..
	योग उद्देश्य-01	8175000	0	0	0	8175000	5604770	2570230	68.56	..तदैव..
2.	02- मजदूरी									..तदैव..
	004 - अन्य आकस्मिक मजदूरी	100000			+500000	600000	587923	12077	97.99	..तदैव..
3.	03 - यात्रा भत्ता									..तदैव..
	001- यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	500000				500000	178563	321437	35.71	..तदैव..
	006 - अवकाश यात्रा सुविधा	400000				400000	94562	305438	23.64	..तदैव..
	योग उद्देश्य-03	900000	0	0	0	900000	273125	626875	30.35	..तदैव..

	मद	आवंटन	अनुपूरक में प्राप्त आबंटन	अनुपूरक में प्राप्त आबंटन	राशि	में प्राप्त कुल आबंटन	2010 तक कुल व्यय राशि	अवशेष राशि	(%)	कारण
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 - कार्यालय व्यय									..तदैव...
	001 - डाकतार व्यय	600000				600000	312978	287022	52.16	..तदैव..
	002 - दूरभाष व्यय	400000				400000	154263	245737	38.57	..तदैव..
	003 - फर्निचर एवं कार्या.उपकरण	100000				100000	88651	11349	88.65	..तदैव..
	004 - पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें	100000				100000	20521	79479	20.52	..तदैव..
	005 - बिजली एवं जल प्रभार	400000				400000	157330	242670	39.33	..तदैव..
	007 - लेखन सामग्री एवं फार्मों की	400000				400000	183573	216427	45.89	..तदैव..
	008 - अन्य आकस्मिक व्यय	400000				400000	147620	252380	36.91	..तदैव..
	009 - सूचना प्रौद्योगिकी	1500000			-500000	1000000	270595	729405	27.06	..तदैव..
	011 - पेट्रोल तेल आदि	600000				600000	255855	344145	42.64	..तदैव..
	013 - किराया महसूल कर	900000				900000	875086	24914	97.23	..तदैव..
	योग उद्देश्य-04	5400000	0	0	-500000	4900000	2466472	2433528	50.34	..तदैव..
5.	05 - प्रशिक्षण									..तदैव..
	001 - अधि/कर्म. का प्रशिक्षण	500000				500000	0	500000	0.00	..तदैव..
6.	09 - विज्ञापन एवं प्रचार	100000				100000	0	100000	0.00	..तदैव..
7.	24 - अनुरक्षण कार्य									..तदैव..
	001 - मोटर गाड़ी	120000				120000	48970	71030	40.81	..तदैव..
	002 - मशीन तथा उपकरण	100000				100000	35824	64176	35.82	..तदैव..
	012 - अन्य अनुरक्षण कार्य	20000				20000	9038	10962	45.19	..तदैव..
	योग उद्देश्य-24	240000	0	0	0	240000	93832	146168	39.10	..तदैव..
	योग योजना (6705)	15415000	0	0	0	15415000	9026122	6388878	58.55	..तदैव..

टीप :- छ0ग0शासन, सा.प्र.वि. के आदेश दिनांक 30.12.2009 (संलग्न) अनुसार उपरोक्त बचत राशि के मद क्रमांक 002-महंगाई वेतन से रूपये 5,00,000/-, 003-महंगाई भत्ता से रूपये 50,000/- एवं 014-अन्य भत्ते से रूपये 50,000/- कुल रूपये 6,00,000/- का पुनर्विनियोजन कर मांग संख्या 02, सचिवालयीन सामान्य सेवायें (092) अन्य कार्यालय व्यय 6513 मानव अधिकार आयोग - 14 सहायक अनुदान को प्रदाय करने के कारण उपरोक्त विवरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

SECRETARY
State Information Commission
Raipur (C.G.)

3/3/10

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर की मांग संख्या-02, 2052 सचिवालय सामान्य सेवायें (092) अन्य कार्यालय (6705) राज्य सूचना आयोग के अन्तर्गत 31.03.2009 तक का कुल व्यय विवरण पत्रक

वित्तीय वर्ष 2008-09

क्र.	मद	प्राप्त आबंटन वर्ष 2008-09	प्रथम अनुपूरक में प्राप्त आबंटन	द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त आबंटन	पुर्नविनियोजित राशि	वर्ष 2008-09 में प्राप्त कुल आबंटन	दि. 31.03.2009 तक कुल व्यय राशि	समर्पण हेतु अवशेष राशि	व्यय प्रतिशत (%)	समर्पण का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	001 - वेतन	2500000		100		2500100	2232640	267460	89.30	आयोग में
	002 - महंगाई वेतन	1250000				1250000	282814	967186	22.63	पद रिक्त
	003 - मंहगाई भत्ता	1700000				1700000	668188	1031812	39.31	होने के
	006 - मकान किराया भत्ता	212000				212000	45226	166774	21.33	कारण
	014 - अन्य भत्ते	233000				233000	184180	48820	79.05	..तदैव..
	015 - चिकित्सा व्यय पूर्ति	194000				194000	79604	114396	41.03	..तदैव..
	020 - त्यौहार अग्रिम	25000				25000	0	0	0.00	..तदैव..
	021 - घटाईये-वापसियां	(-) 25000				0	0	0	0.00	..तदैव..
	022 - अनाज अग्रिम	50000				50000	0	0	0.00	..तदैव..
	023 - घटाइये-वापसियां	(-) 50000				0	0	0	0.00	..तदैव..
	024 - चिकित्सा अग्रिम	70000				70000	0	0	0.00	..तदैव..
	025 - घटाइये-वापसियां	(-) 70000				0	0	0	0.00	..तदैव..
	योग उद्येश्य-01	**6089000**	**0**	**100**		**6089100**	**3492652**	**2596448**	**57.36**	..तदैव..
2.	**02- मजदूरी**					0				
	004 - अन्य आकस्मिक मजदूरी	**400000**	**0**	**0**		**400000**	**383163**	**16837**	**95.79**	..तदैव..
3.	**03 - यात्रा भत्ता**									
	001- यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	400000				400000	186188	213812	46.55	..तदैव..
	006 - अवकाश यात्रा सुविधा	200000				200000	41883	158117	20.94	..तदैव..
	योग उद्येश्य-03	**600000**	**0**	**0**		**600000**	**228071**	**371929**	**38.01**	..तदैव..
4.	**04 - कार्यालय व्यय**									
	001 - डाकतार व्यय	75000	350000			425000	231857	193143	54.55	..तदैव..
	002 - दूरभाष व्यय	250000		49900		299900	160205	139695	53.42	..तदैव..
	003 - फर्निचर एवं कार्या.उपकरण	100000		200000		300000	148149	151851	49.38	..तदैव..
	004 - पुस्तकें एवं नियतकालिक	50000				50000	11866	38134	23.73	..तदैव..
	005 - बिजली एवं जल प्रभार	300000				300000	174988	125012	58.33	..तदैव..
	007 - लेखन सामग्री एवं फार्मो	300000				300000	147549	152451	49.18	..तदैव..
	008 - अन्य आकस्मिक व्यय	300000				300000	173686	126314	57.90	..तदैव..
	009 - सूचना प्रौद्योगिकी	1700000				1700000	0	1700000	0.00	..तदैव..
	011 - पेट्रोल तेल आदि	450000				450000	173163	276837	38.48	..तदैव..
	013 - किराया महसूल कर	500000	350000			850000	833426	16574	98.05	..तदैव..
	योग उद्येश्य-04	**4025000**	**700000**	**249900**		**4974900**	**2054889**	**2920011**	**41.31**	..तदैव..
5.	**05 - प्रशिक्षण**									
	001 - अधि/कर्म. का प्रशिक्षण	500000	0	0		500000		500000	0.00	..तदैव..
6.	**09 - विज्ञापन एवं प्रचार**	**200000**	**0**	**0**		**200000**	**67416**	**132584**	**33.71**	..तदैव..
7.	**24 - अनुरक्षण कार्य**									
	001 - मोटर गाड़ी	100000				100000	76511	23489	76.51	..तदैव..
	002 - मशीन तथा उपकरण	100000				100000	23184	76816	23.18	..तदैव..
	012 - अन्य अनुरक्षण कार्य	20000				20000	10389	9611	51.95	..तदैव..
	योग उद्येश्य-24	**220000**	**0**	**0**		**220000**	**110084**	**109916**	**50.04**	..तदैव..
8.	**034-वाहन क्रय**									
	003-हल्का वाहन			800000		800000	454400	345600	56.80	..तदैव..
	योग योजना (6705)	**12034000**	**700000**	**1050000**		**13784000**	**6790675**	**6993325**	**49.26**	..तदैव..

SECRETARY
State Information Commission
Raipur (C.G.)

(4)

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष कार्यालय (0771) 4024406 फैक्स–2442132, वेबसाइट–www.siccg.gov.in

दूरभाष की जानकारी

(दिनांक 31–03–2009 की स्थिति में)

विभाग का नाम – छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर (छ.ग.)

विभागाध्यक्ष का नाम – श्री ए. के. विजयवर्गीय

क्र.	कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम	दूरभाष		दूरभाष की संख्या	रिमार्क
			कार्यालय	निवास		
1	2	3	4	5	6	7
01	विभागाध्यक्ष कार्यालय	श्री ए.के. विजयवर्गीय मुख्य सूचना आयुक्त	मो. 98261–66122 4024406 2442132 फैक्स 9229227687 लेपटाप	2331012, 2331412, 4024234	07	
		श्री अनिल जोशी, सूचना आयुक्त	मो. 94255–36679 4046075	2106222 नया कनेक्शन	03	
		श्री एल.एन. सूर्यवंशी सचिव	2262145	4234454	02	
		उपसचिव कक्ष	4025706	निरंक	01	
		लेखाधिकारी कक्ष	4024235	निरंक	01	
		श्री सुदेश तिवारी जनसंपर्क अधिकारी	मो. 9425209174	निरंक	01	
2.	अधीनस्थ कार्यालय	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
	योगः–		10	05	15	–

टीप : शासन द्वारा एक लेपटॉप क्रय एवं 14 दूरभाषों की स्वीकृति समय–समय पर प्रदान की गई है।

सचिव

छ.ग. सूचना आयोग

D:\Accounts\Budget 09-10\Budget 06-08-09\Covering. Setup. veh. Tel. Comp. Statement.Summary.doc

(5) (13)

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष कार्यालय (0771) 4024406 फैक्स–2442132, वेबसाईट–www.siccg.gov.in

कम्प्यूटर की जानकारी
(दिनांक 31–03–2009 की स्थिति में)

विभाग का नाम – छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर (छ.ग.)
विभागाध्यक्ष का नाम – श्री ए.के. विजयवर्गीय

क्रमांक	कार्यालय का नाम	कम्प्यूटर की वर्तमान स्थिति	कम्प्यूटर की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	विभागाध्यक्ष कार्यालय	06– कम्प्यूटर ठीक है 01–लैपटाप	07 (सात)	
		कुल संख्या–07		
		02–कम्प्यूटर, भवन मालिक से प्राप्त, दोनों खराब है।	02 (दो)	
		कुल संख्या–09	09 (नौ)	
2.	अधीनस्थ कार्यालय	–	–	–
	योगः–	09 (नौ)	09 (नौ)	–

सचिव
छ.ग. सूचना आयोग

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष कार्यालय (0771) 4024406 फैक्स–2442132, वेबसाईट–www.siccg.gov.in

वाहन की जानकारी

(दिनांक 31–03–2009 की स्थिति में)

विभाग का नाम – छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर (छ.ग.)

विभागाध्यक्ष का नाम – श्री ए.के. विजयवर्गीय

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल/वर्ष	अधिकारी जिसे आबंटित है	वाहन की वर्तमान स्थिति	वाहनों की संख्या	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारी वाहन	निरंक	–	–	–	निरंक
2.	हल्का वाहन सी.जी. 02 ए. 7777	टाटा करौला 19–12–05	मान. मुख्य सूचना आयुक्त	अच्छी है	–एक–	–
	सी.जी. 02 ए 0045	टाटा इंडिका दि. 21.08.06	स्टाफ कार अधिकारियों के लिये	अच्छी है	–एक–	–
	सी.जी. 02 ए 9999	मारूती 800 दि. 12.07.06	सचिव, रा.सू.आ.	अच्छी है	–एक–	–
	सी.जी. 02 ए 4444	मारूति ओमनी दि. 12.07.06	पुल वाहन	अच्छी है	–एक–	–
3.	सी.जी. 02 ए 0222	टाटा इंडिगो दि. 07.01.09	राज्य सूचना आयुक्त	अच्छी है	–एक–	–
4.	अन्य वाहन	निरंक	–	–	निरंक	–
योग	–	–	–	–	5 (पांच)	

सचिव
छ.ग. सूचना आयोग

D:\Accounts\Budget 09-10\Budget 06-08-09\Covering. Setup. veh. Tel. Comp. Statement.Summary.doc

खण्ड XI

राज्य सूचना आयोग हेतु स्वीकृत पदों का सेट–अप (अमला)

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(XI)के अंतर्गत)

क्रं.	स्वीकृत पदों का नाम	वेतनमान	ग्रेड–पे	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद संख्या	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	90000	0	01	01	-
2.	सूचना आयुक्त	80000	0	02	02	-
3.	सचिव	37400-67000	10000	01	01	-
4.	उपसचिव	15600-39100	7600	01	01	-
5.	अवर सचिव	15600-39100	6600	01	01	-
6.	स्टाफ आफिसर	15600-39100	6600	03	02	01
7.	लेखाधिकारी	15600-39100	5400	01	01	-
8.	जनसंपर्क अधिकारी	15600-39100	5400	01	01	-
9.	अनुभाग अधिकारी	9300-34800	4400	01	-	01
10.	निज सहायक	9300-34800	4300	05	-	05
11.	स्टेनो टायपिस्ट	5200-20200	1900	01	-	01
12.	सहायक ग्रेड–1	9300-34800	4200	03	02	01
13.	सहायक ग्रेड–2	5200-20200	2400	03	02	01
14.	सहायक ग्रेड–3	5200-20200	1900	04	02	02
15.	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800	4200	01	01	-
16.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	5200-20200	2200	02	01	01
17.	वाहन चालक	5200-20200	1900	06	5	01
18.	भृत्य	4750-7440	1300	13	11	02
19.	चौकीदार	4750-7440	1300	01	-	01
20.	फर्राश	4750-7440	1300	01	-	01
	योग			**52**	**34**	**18**

खण्ड-XII

अनुदान, सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि व लाभान्वितों से संबंधित जानकारी

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(xii) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से संबंधित नहीं है।

खण्ड-XIII

राज्य सूचना आयोग द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापन्नों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयॉ

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(xiii) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से असंबंधित है।

<u>खण्ड-XIV</u>

<u>इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी</u>

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(xiv) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाइट **www.siccg.gov.in** पर उपलब्ध है।

<u>खण्ड-XV</u>

<u>सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण</u>

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(xv) के अंतर्गत)

राज्य सूचना आयोग से संबंधित सूचनाएं आयोग में तथा आयोग की बेबसाइट **<u>www.siccg.gov.in</u>** के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस बेबसाइट में आयोग के शिकायत एवं अपील प्रकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी देखे जा सकते है।

खण्ड-XVI

लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख)(xvi) के अंतर्गत)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) एवं 19(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का नियुक्ति की गई है :–

अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष क्रमांक	अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी का नाम पदनाम तथा दूरभाष क्रमांक	कार्यालय का पता
श्री एस0एल0 श्रीमाली **अवर सचिव** मो0– 94252-61092	श्री एल0एन0 सूर्यवंशी **सचिव** फोन.– 0771–2444151	निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, बाटल हाऊस के पास, शंकर नगर, रायपुर पिन कोड– 492007

खण्ड XVII

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

राज्य सूचना आयोग को प्रस्तुत अपीलों का जिलेवार विवरण

(जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 तक की स्थिति मे)

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) **(XVII)**के अंतर्गत)

क्र.	जिला	कुल प्राप्त अपीलों की संख्या	कुल निराकृत की संख्या
1	2	3	4
1	रायपुर	**598**	**443**
2	दुर्ग	**393**	**244**
3	बिलासपुर	**190**	**108**
4	रायगढ़	**143**	**68**
5	कोरिया	**137**	**66**
6	राजनांदगांव	**130**	**93**
7	जांजगीर–चाम्पा	**122**	**73**
8	कोरबा	**107**	**91**
9	सरगुजा	**91**	**41**
10	महासमुंद	**89**	**47**
11	कबीरधाम	**41**	**15**
12	जगदलपुर	**36**	**32**
13	जशपुर	**33**	**24**
14	कांकेर	**29**	**24**
15	धमतरी	**27**	**19**
16	दंतेवाड़ा	**9**	**7**
17	नारायणपुर	**3**	**2**
18	बीजापुर	**2**	**0**
	योग	**2180**	**1397**

खण्ड XVII
अन्य उपयोगी जानकारियॉ
राज्य सूचना आयोग को प्रस्तुत शिकायतों का जिलेवार विवरण
(जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009 तक की स्थिति मे)

क्र.	जिला	कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल निराकृत की संख्या
1	2	3	4
1	रायपुर	**311**	**229**
2	बिलासपुर	**266**	**155**
3	दुर्ग	**133**	**112**
4	जांजगीर–चाम्पा	**83**	**53**
5	रायगढ़	**78**	**43**
6	राजनांदगांव	**61**	**49**
7	सरगुजा	**61**	**31**
8	कोरबा	**50**	**44**
9	महासमुंद	**42**	**35**
10	कोरिया	**35**	**28**
11	जगदलपुर	**27**	**20**
12	कांकेर	**25**	**22**
13	कबीरधाम	**22**	**20**
14	धमतरी	**21**	**21**
15	दंतेवाड़ा	**9**	**8**
16	जशपुर	**8**	**9**
17	बीजापुर	**7**	**7**
18	नारायणपुर	**6**	**3**
	योग	**1245**	**889**